न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 149 / 2020 / अपील / एल0आर0एक्ट / कोटा
दायरा दिनांक 20.8..2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. आनन्दीलाल
2. हीरालाल
3. शिवराम
4. गिर्राज
5. आणदी बाई

पिसरान स्व0 कालूलाल जाति मीना निवासी ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
....अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दयाराम सेन अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री सैफुद्वीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 27.10.2021

अपीलार्थी आनन्दीलाल वगेरा द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा ने प्रकरण सं0 10/2012 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण) अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 राज0 भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा बनाम आनन्दीलाल, हीरालाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 3.10.2019 की अप्रसन्नता से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलार्थीगण को आवंटित ग्राम मांदलिया तह0 लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 286/690 रकबा 1.60 है0 को आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने के उपरांत प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष मे शेष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त कर निर्बाध रूप से काश्त नही करने तथा भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नही करने भूमि सं0 2066–2069 मे पडत रहने के कारण आवंटन शर्तो का उल्लधंन होने से आवंटन निरस्तीकरण कहेतु प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को जेरअपील निर्णय दिनांक 3.10.2019 से स्वीकार कर ग्राम मांदलिया तह0 लाडपुरा की आराजी ख0 नं0 286/690 रकबा 1.60 है0 का आवंटन आदेश निरस्त कर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील राज0

भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि उक्त भूमि अपीलांट के पिता को 12.5.76 को आवंटित हुई थी जिस पर कब्जा दिया गया था। उक्त आराजी की आवंटन राशि जमा की जा चुकी है। अपीलांट के पिता स्व0 कालूलाल को आवंटित भूमि को पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार बनाकर आवंटन को खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता व उनकी मृत्यु के बाद से अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांट गरीब अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति की रिपोर्ट तलब किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि कीमतन आवंटित की गई थी तथा भूमि की सारी किश्ते अदा कर दी गई है कोई राशि बकाया नही है। इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये मात्र पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट व तहसीलदार के कथन को मानते हुये जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। तह0 ने मात्र सं0 2066–69 मे काश्त नही करना बताया जबकि भूमि निरतंर काश्त की जा रही है। नियमानुसार अपीलांट भूमि के खातेदार बन चुके है। किसी कारण वश किसी वर्ष भूमि पडत रह जाती जो उसको किसी प्रकार से पडत नही माना जा सकता क्योंकि भूमि पर काश्त वर्षा पर निर्भर होती है। आदेश की जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश की है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त किया जावे।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलग्रस्त भूमि पर अपीलांट निरतंर काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि पर काश्त वर्षा पर निर्भर करती है ऐसी स्थिति मे किसी वर्ष भूमि पडत भी रह जाती है तो उसको पडत नही माना जा सकता। भूमि की किश्तो की राशि अदा की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट तलब नही कर मात्र पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट व तहसील के कथन के आधार पर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो के मुताबिक आवंटी द्वारा भूमि पर काश्त नही आवंटन शर्तो की अवहेलना की है। पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की है। भूमि पडत है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपील खारिज योग्य है।

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र एंव उसके समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 ने शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6. अपील का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख जेरअपील निर्णय, पटवारी रिपोर्ट ख0 गिर0 का अवलोकन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन पश्चात कब्जा प्राप्त करने के पश्चात प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष मे शेष 50 प्रतिशत भूमि पर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की जानी चाहिये थी, किन्तु आवटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा काश्त नही की जाना प्रकट होता है। खसरा गिर0 सं0 2066–67 एव सं0 2074 के अनुसार भूमि होना जाहिर होता है। सं0 2075 मे भूमि काश्त होने बावत आवंटी द्वारा ख0 गिर0 पेश की है जिससे भूमि पर आवंटन शर्तो के मुताबिक आवंटन एंव कब्जा प्राप्त करने उपरांत प्रथम वर्ष मे 50 प्रतिशत भूमि तथा द्वितीय वर्ष मे शेष 50 प्रतिशत भूमि निर्बाध रूप संपूर्ण भूमि काश्त किये जाने की पुष्टि नही होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किया जाना प्रकट है। आवंटी द्वारा भूमि पर आवंटन शर्तो के मुताबिक निर्बाध रूप से भूमि काश्त किये जाने संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय मे पेश नही किये गये है। हस्तगत अपील प्रकरण मे भी अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे उसके द्वारा आवंटन एंव भूमि पर कब्जा प्राप्त करने उपरांत आवंटन शर्तो के मुताबिक भूमि पर निर्बाध रूप से सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा, काश्त करने की पुष्टि होती हो। अतः स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत पाते है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश प्रकट नही होती है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा